न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 77/2025
निर्णय दिनांकः—31.10.2025
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) (पश्चिम क्षेत्र) लाईन चाकसू जरिये महाप्रबंधक बृजकिशोर सोनी पुत्र धनपत प्रसाद सोनी

वादी

बनाम

1. किस्मत पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. छगनलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
3. प्रकाशी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०
4. रामानन्द पुत्र नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. लक्ष्मी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
6. लाली देवी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
7. संतोष पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
8. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः—31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपकम है जिसके महाप्रबंधक बृजकिशोर सोनी है जिनके द्वारा वादी के हितों के लिए उक्त वाद पेश किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1318 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1318 प्रतिवादीगण के पिता नारायण का 1/9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था, जिसमें से प्रतिवादीगण के पिता नारायण पुत्र गोदू जाति माली के द्वारा अपने दर्ज हिस्से 1/9 में से वादी को 125 वर्गमीटर भूमि भारतीय तेल निगम लि० सलाया मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट सी पी लोकेशन हेतु दिनांक 05.09.1979 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विकय कर दी और इस आशय का विकय पत्र प्रतिवादीगण के पिता नारायण पुत्र गोदू के द्वारा वादी के हक में उपपंजीयक फागी के यहां उक्त दिनांक 05.09.1979 को पंजीबद्ध करा दिया। उसके पश्चात उक्त खसरा नम्बर 1318 का खातेदार ने तकासमा होने पर प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर दर्ज हुआ उक्त भूमि में विक्रय के पश्चात 125 वर्गमीटर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से दर्ज नही होने पर वर्तमान में नारायण के फौत होने से प्रतिवादीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर वाके ग्राम निमेडा की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से वादी 125 वर्गमीटर का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1318 में से भूमि कय करने के पश्चात वादी के नाम 125 वर्गमीटर की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से वादी के नाम नामांतकरण नही खोलने से खातेदारी बदस्तुर प्रतिवादीगण के पिता नारायण के

नाम दर्ज रही तथा नारायण के फौत होने पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी के द्वारा उक्त भूमि कय करने के पश्चात उक्त भूमि व पास में स्थित अन्य भूमि कय करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि में वादी के द्वारा रिपिटर स्टेशन का निर्माण जारदीवारी करते हुये सोमा लिया जो रिपीटर स्टेशन वादी के प्रोजेक्ट के काम में लगातार लिया जा रहा है। जो मौके पर वादी के द्वारा कय की गई भूमि पर बना हुआ है जिसका उपयोग वादी लगातार लेता चला आ रहा है। विकय पत्र दिनांक 05.09.1979 के आधार पर वादी के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए लेकिन सहवन से बदस्तूर खातेदार के नाम ही दर्ज रह गई तथा उसके फौत होने पर वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। वादी के द्वारा विक्रय करने के पश्चात उसके नाम खातेदारी दर्ज नही होने पर यादी ने प्रतिवादीगण से कहां कि उनके की दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1318 में से वादी ने भूमि कय की है जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाये तथा प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर की जो खातेदारी दर्ज है उसमें से उनके पिता के द्वारा विक्रय की गई भूमि 125 वर्गमीटर की वादी के नाम करावे इस हेतु वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार कहा लेकिन उसके द्वारा भूमि वादी के नाम नही करवाई जिस पर वादी ने अभी दिनांक 04.06.2025 को प्रतिवादीगण से कहां कि उसके विक्रय पत्र की भूमि तहसील व कार्यालय में चलकर उसके विकय पत्र की भूमि तहसील कार्यालय में चलकर उसके नाम लगवाये जिस पर प्रतिवादीगण इंकार हो गये जिस पर वादी के लिए आवश्यक हुआ कि वह अपने हक में हुये विकय पत्र दिनांक 04.09.1979 के आधार पर अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाये जिस हेतु उक्त वाद घोषणा का प्रस्तुत है। वादी के द्वारा विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 08 के कार्यालय में जाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु काफी प्रयास किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 08 ने कहां कि वादी सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर उक्त वाद घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से उनकी नियत में फितुर उत्पन्न है और वे वादी के रिपिटर स्टेशन में व्यवधान उत्पन्न करते हुये कहने लगे है कि उक्त स्टेशन उनकी खातेदारी भूमि में है वादी उसको हटा लेवे व उसका उपभोग नही करे प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों पर वादी के लिए आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादी को असहनीय हानि होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 04.06.2025 को वादी के विकय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने से इंकार करने तथा वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वाद अंदर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 09 भूमिधारक होने से पक्षकार कायम किया गया है जनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की तरफ से वकील श्री राजेन्द्र जैन ने अण्डरटेकिंग दी थी। उसके बाद आजतक उपस्थित नहीं हुए। तामिल को एक माह से अधिक का समय हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी स. 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई

निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2075 — 2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 287 के खसरा नं. 1318 / 3 मे प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1979 के द्वारा 125 वर्गमीटर भूमि को क्रय किया गया है। उपर्युक्त तथ्यो के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 287 ग्राम नीमेडा के खाता सं0 287 के खसरा नं. 1318 / 3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिलां जयपुर मे स्थित आराजी मे से वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1979 के अनुसार 125 वर्गमीटर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार ॥ (आर.ए.एस.)

1. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) (पश्चिम क्षेत्र) लाईन चाकसू जरिये महाप्रबंधक बृजकिशोर सोनी पुत्र धनपत प्रसाद सोनी

वादी

बनाम

1. किस्मत पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
2. छगनलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
3. प्रकाशी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०
4. रामानन्द पुत्र नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. लक्ष्मी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
6. लाली देवी पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
7. संतोष पुत्री नारायण जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
8. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

प्रतिवादीगण

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 77 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ग्राम नीमेडा के खाता सं0 287 के खसरा नं. 1318/3 रकबा 0.0759 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी मे से वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1979 के अनुसार 125 वर्गमीटर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.........—.........मुबलिग.........—.........बाबत.........—.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—.........फीसदी.........—.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....—.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.....फागी.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सवुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

(राकेश कुमार ॥)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर